

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 2012/माघ 19, 1933

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 277

No. 22]

DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 2012/MAGHA 19, 1933

[N.C.T.D. No. 277

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

अधिसूचना

NOTIFICATION

दिल्ली, 8 फरवरी, 2012

Delhi, the 8th February, 2012

फा. सं. 4(7)/यूडी/डीयूएसआईबी/2010/1756-1781.—इस सरकार की दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. फा. 04 (7)/यूडी/डीयूएसआईबी/2010/20020-20044 और दिनांक 3 जनवरी, 2011 की अनुवर्ती अधिसूचना सं. 16-41 के क्रम में और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 (2010 का दिल्ली अधिनियम 7) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री रमेश मोहन चौहान के स्थान पर श्री अश्विनी आहुजा को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (4) के खंड (iv) के अन्तर्गत दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के सदस्य के रूप में दिनांक 31-3-2012 तक या उसके दिल्ली नगर निगम के सदस्य के रूप में न रहने तक, जो भी पहले हो, तब तक के लिए सदस्य के रूप में नामांकित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से
तथा उनके नाम पर,
आर. चन्द्र मोहन, प्रधान सचिव

F. No. 4(7)/UD/DUSIB/2010/1756-1781.—

In continuation of this Government's Notification No. F. 4 (7)/UD/DUSIB/2010/20020-20044 dated the 10th December, 2010 and subsequent Notification No. 16-41 dated the 3rd January, 2011 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 (Delhi Act 7 of 2010), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to nominate Shri Ashwani Ahuja in place of Shri Ramesh Mohan Chauhan as Member of Delhi Urban Shelter Improvement Board, Delhi, under clause (iv) of sub-section (4) of Section 3 of the said Act, for a period up to 31-3-2012 or till he cease to be Member of the Municipal Corporation of Delhi whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

R. CHANDRAMOHAN, Principal Secy.